न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1087–एक / 2005 एवं 1088–एक / 2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–04–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 121 / 1995–96 एवं प्रकरण क्रमांक 120 / 1995–96 / अपील

....

रामभरोसी पुत्र जगन्नाथ प्रसाद ब्राहम्ण,
निवासी–ग्राम तोर खेड़ा, तहसील मुरैना,
जिला–मुरैना

.... आवेदक

विरूद्ध

बालकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रा0,
निवासी–ग्राम जोरी हाल निवासी गणेशपुरा नगरा
झांसी, म0प्र0

...............अनावेदक

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एल0एस0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/17 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू0–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 121 / 1995–96 एवं प्रकरण क्रमांक 120 / 1995–96 / अपील में पारित आदेश दिनांक 21–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जोरी तहसील मुरैना में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 773 रकबा 4 विस्बा मृतक वीघाराम पुत्र पतिराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। वीघाराम की मृत्यु के बाद उनके कोई संतान न होने से उक्त भूमि पर तहसीलदार, मुरैना

के प्रकरण क्रमांक 20 / 86–87 / अ–6 में पारित आदेश दिनांक 23–07–87 द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में श्रीलाल का नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 78 / 87–88 अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 28–02–89 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई और तहसील न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय की ओर प्रतयावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाये व वसीयतनामे के संबंध में समुचित जांच की जाये, तत्पश्चात् नियमानुसार आदेश पारित करें । प्रकरण तहसील न्यायालय में वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के मुताबिक उभय पक्षों की सुनवाई प्रारंभी की गई । तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–11–90 द्वारा विवादित भूमि पर मृतक वीघाराम के बजाय अनावेदक के नाम से नामान्तरण वसीयतनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक रामभरोसी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 27 / 90–91 अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 24–02–1996 द्वारा तहसील न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 29–11–90 किया गया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि विवादित आराजी का इन्द्राज खसरा के कालम नं0 12 में शासकीय रूप में किया जावे, मृतक वीघाराम का नाम विलोपित किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक रामभरोसी द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदक बालकिशन के पक्ष में आदेश दिनांक 21–04–2005 पारित किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–04–2005 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण में रेस्टोरेशन का आवेदन पत्र मात्र पर बहस हुई थी। गुण–दोष पर कोई बहस नहीं हुई थी, परन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण में अंतिम फैसला पारित कर दिया तथा उनका विवादित आदेश निरस्त होने योग्य है । आवेदक ने विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पर द्वारा मूल भूस्वामीय से

भूमि खरीदी थी और उसी के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरण चाहा था, किन्तु प्रारम्भिक न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने अवैध रूप से प्रतिप्रार्थी का नामान्तरण किया है । अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश जिसमें विवादित भूमि शासकीय कर दी जावे, अपने आप में विधि विधान के विपरीत है । प्रारम्भिक न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रूप से आदेश पारित किया है जो कायम रखे जाने योग्य है । प्रकरण में शासन का कोई दखल नहीं है अर्थात् दो प्रायवेट पक्षकारों के मध्य का विवाद होने से यह निर्देश देने में कि विवादित भूमि शासकीय कर दी जावे अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सही न होने से निरस्त होने योग्य है । अपर आयुक्त का यह मत कि जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार प्रकरण में आदेश पारित कर रहे है जबकि उस विवादित आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया है कि आगामी पेशी तक दोनों पक्षकारों की यथास्थिति कायम रखे उसके बाबजूद भी अपर आयुक्त ने अपना आदेश पारित किया है । प्रतिप्रार्थी ने वसीयतनामा को सही प्रकार से सिद्ध भी नहीं किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उस वसीयतनामा को आधार मान कर फैसला दिया है । प्रतिप्रार्थी ने अपनी वसीयतनामा को सही प्रकार से सिद्ध भी नहीं किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उस वसीयतनामा को आधार मान कर फैसला दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा शंका से परे सिद्ध होना जरूरी है बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बिना सिद्ध किये गये वसीयत को आधार मान कर फैसला देने में कानूनी भूल की है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को फैसला देना था क्योंकि जब तक रजिस्र्टड विक्रय पत्र निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक वह सभी राजस्व न्यायालय द्वारा उसी के आधार पर फैसला करना होगा उसके पीछे जाने का कोई अधिकार नहीं है वह अभी तक निरस्त नहीं गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश आवैधनिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल, मुरैना द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के पूर्व आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि विवादित भूमि ग्राम जौरी, रकबा 4 विस्वा सर्वे कमांक 773 पर तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक

29–11–90 द्वारा पूर्ण विचारोपरांत मृतक वीघाराम द्वारा अनावेदक जो कि उसकी बहिन का पुत्र है, के पक्ष में वसीयतनामा सम्पादित किया गया था, जिसके आधार पर मृतक वीघाराम के बजाय बालकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरण स्वीकार किया । तहसील न्यायालय के आदेश विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 24–2–1996 द्वारा गलत रूप से अपास्त कर विवादित भूमि को शासकीय रूप से खसरा के कॉलम नम्बर 12 में इंद्राज करने का आदेश विधि विरूद्ध दिया गया है । अनावेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 773 रकबा 4 विस्वा के स्वत्व घोषण एवं आवेदक के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को प्रभावहीन घोषित किये जाने व निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय जिला न्यायाधीश मुरैना सिविल वाद क्रमांक 21ए/1999 वालकिशन विरूद्ध रामभरोसी शर्मा व शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 12–12–2000 को पारित किये गये अनुसार अनावेदक ग्राम जौरी में स्थित खाता क्रमांक 288 सर्वे क्रमांक 773 रकबा 4 विस्वा का स्वामी व आधिपत्यधारी है। आवेदक के हित में निष्पादित बयनामा स्वत्वहीन आधिपत्यधारी होकर निष्प्रभावी है । आवेदक को स्थाई रूप से अनावेदक के स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने व दखल देने से निषेधित किया गया है । इसलिये सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हैं । अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता का अध्ययन किया गया । क्योंकि ~~अपील~~ निग. क्रमांक 1087 तथा 1088 दोनों अनुविभागीय अधिकारी के एक ही प्रकरण क्रमांक 27/90–91 में पारित आदेश दिनांक 24–2–1996 से उद्‌भूत हुये हैं अतः इन दोनों प्रकरणों का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है ।

6/ प्रकरण के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में धारा 35(3) के आवेदन पर बहस सुनी लेकिन आदेश गुणदोष पर किया जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा उन्हें प्रथमतः धारा 35(3) पर ही निर्णय लेना था ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विवादित भूमि शासकीय थी ~~तथा~~ उस पर मात्र कुएं के उपयोग का अधिकार पटटाधारी को दिया था । स्पष्ट

है कि पट्टाधारी को न तो वसीयत का अधिकार था न विक्रय का । सिविल न्यायालय के समक्ष भी उक्त तथ्य छिपाया गया है । विद्वान अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य की अनदेखी की है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24–6–1996 तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–4–2005 (प्रकरण क्रमांक 121/1995–96) तथा आदेश दिनांक 21–4–2005 (प्रकरण क्रमांक 120/1995–96) निरस्त किया जाता है । इसी के साथ तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 29–11–1990 भी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह इस प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर शासकीय भूमि को सुरक्षित करने हेतू उचित कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर